

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

पत्रांक :: 1457/वि0का0/2011-12

लखनऊ :: दिनांक :: 9 अगस्त-2011

विषय वित्तीय वर्ष 2011-12 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अन्तर्गत स्टेबलिशमेण्ट आफ इन्टीग्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स एण्ड मार्केटिंग थ्रो फारमर्स आर्गेनाइजेशन आगरा की विशेष परियोजना हेतु केन्द्रांश के सापेक्ष अनुदान सं0-83 से मैचिंग राज्यांश की द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

शासनादेश सं0-649/26-ब0प्र0/2011-04एसजीएसवाई/07, दिनांक 03.08.2011 (छायांप्रति संलग्न) द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अन्तर्गत स्टेबलिशमेण्ट आफ इन्टीग्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स एण्ड मार्केटिंग थ्रो फारमर्स आर्गेनाइजेशन आगरा की विशेष परियोजना हेतु अवमुक्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 179.205 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की कुल धनराशि रू0 59.74 लाख में से एस0सी0एस0पी मद अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत रू0 29.87 लाख (रू0 उन्तीस लाख सत्तासी हजार मात्र) की धनराशि जनपद आगरा को अवमुक्त करने हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास के निस्तारण पर रखी गयी है।

2. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा उक्त विशेष परियोजना हेतु जनपद आगरा को अवमुक्त केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की धनराशि के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश के रूप में अनुदान संख्या-83 एस0सी0एस0पी मद के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि रू0 29.87 लाख (रू0 उन्तीस लाख सत्तासी हजार मात्र) आपको इस प्रतिबन्ध के साथ आबंटित की जा रही है कि धनराशि का आहरण भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।


4. धनराशि के आहरण एवं व्यय में संलग्न शासनादेश में निर्धारित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. आवंटित धनराशि में से वांछित धनराशि हेतु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर माँग की गयी धनराशि मुख्य विकास अधिकारी को अवमुक्त की जायेगी। राज्यांश का आवंटन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग अंश की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय एवं धनराशि का व्यय एस0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया जाये। धनराशि के आहरण एवं वितरण के लिए सम्बन्धित जिले के आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है तो उसकी सूचना इस कार्यालय एवं उ0प्र0 शासन को भेजी जाय।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0101-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना)(के075/रा025-रा0)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7. योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में एससीएसपी मद अनुदान संख्या-83 में आपके जनपद को अब तक आबंटित की धनराशि का प्रगामी योग रू0 54.19 लाख हो जायेगा।
8. जारी किये गये आदेशों की प्रतियाँ भारत सरकार, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद,, वित्त विभाग, नियोजन विभाग, ग्राम्य विकास अनुभाग-6 एवं समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन तथा इस कार्यालय एवं अन्य सम्बन्धित को पृष्ठांकित की जाय।
9. केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित करते हुये इसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर (आयोजनागत) के पृष्ठ सं0 189 पर कर ली गई है।


संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(सिजीव कुमार)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक :: 14 57/वि0का0/2011-12 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल आगरा।
5. संयुक्त विकास आयुक्त, आगरा मण्डल आगरा।
6. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
7. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, आगरा।
8. वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-2/3/वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-2।
9. राज्य योजना आयोग-1/2 उ0प्र0 शासन।
10. विशेष सचिव ग्राम्य विकास अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
11. संयुक्त सचिव, बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र सं0-649/26-ब0प्र0/2011-04एसजीएसवाई/07, दिनांक 03.08.2011 के सन्दर्भ में।
12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
13. कोषाधिकारी, आगरा।
14. उप सचिव (एस0जी0एस0वाई0), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।


(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ०प्र० लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग

लखनऊ: दिनांक ०३ जुलाई, 2011

विषय:- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत स्टेबिलिजेशन आफ इन्टीग्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स एण्ड मार्केटिंग थ्रो फारमर्स आर्गनाइजेशन, आगरा की विशेष परियोजना हेतु केन्द्रांश के सापेक्ष अनुदान संख्या-83 से मैचिंग राज्यांश की द्वितीय किस्त अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-913/वि.का./2011-12 दिनांक 10 मई, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-17015/05/2007-एसजीएसवाई-11 (एसपी), दिनांक 16 अप्रैल, 2008 द्वारा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउण्डेशन द्वारा प्रस्तुत स्टेबिलिजेशन आफ इन्टीग्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स एण्ड मार्केटिंग थ्रो फारमर्स आर्गनाइजेशन, आगरा की विशेष परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए रू०-477.88 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसमें से केन्द्रांश रू०-358.41 लाख एवं राज्यांश रू०-119.47 लाख (75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश) निर्धारित की गयी तथा तीन किस्तों में 25:50:25 के अनुपात में स्वीकृत किए जाने का प्राविधान किया गया। भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2008-09 में रू०-89,60,000/- अवमुक्त किये गये जिसके सापेक्ष राज्यांश की मैचिंग धनराशि रू०-29,86,750/- (सामान्य मद अनुदान संख्या-13 में रू०-14,93,375/- तथा एस.सी.एस.पी.मद अनुदान संख्या-83 में रू०-14,93,375/-) अवमुक्त की जा चुकी है।

2. भारत सरकार के पत्र दिनांक 11 फरवरी, 2011 द्वारा उक्त परियोजना हेतु द्वितीय किस्त के रूप में केन्द्रांश रू०-1,79,20,500/- (रूपये एक करोड़ उन्नासी लाख बीस हजार पाँच सौ मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी है। अतः केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की कुल धनराशि रू०-59,74,000/- में से एस०सी०एस०पी० मद अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत रू०-29,87,000/- (रूपये उन्तीस लाख सत्तासी हजार मात्र) की धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्ति के सापेक्ष आवश्यक राज्यांश की सीमा तक किया जायेगा। धनराशि के आहरण में वित्तीय नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण व वितरण के लिये संबंधित अधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त ग्राम्य विकास उ.प्र., लखनऊ को प्राप्त करायी जायेगी।
- (2) अवमुक्त की जा रही राज्यांश की धनराशि रू०-रू०-29,87,000/- (रूपये उन्तीस लाख सत्तासी हजार मात्र) में से, प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष ही जनपद आगरा को

तत्काल उपलब्ध करायी जाये, जिससे जिलाधिकारी, आगरा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश अवमुक्त कर सकें। धनराशि का आहरण जिला सेक्टर में योजनान्तर्गत निर्धारित परिव्यय की सीमा के भीतर ही किया जायेगा।

- (3) केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे भारत सरकार द्वारा योजना में यथासमय तृतीय किस्त प्राप्त हो सके।
- (4) यह धनराशि आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय, कि योजनान्तर्गत निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय व्ययक अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि लेखा शीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना) (के. 75/रा.25-रा)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1374/दस-2011 दिनांक, 21 जुलाई 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-649(1)/26-ब.प्र.-2011- तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।
2. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
4. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3
7. उपाध्यक्ष, बायफ डेवलपमेन्ट रिसर्च फाऊण्डेशन, 27 ए-इलाहाबाद।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शशि कान्त गोस्वामी)
अनु सचिव।